Not Press

03/10/2023 आज पत्रावली पेश हुई।

यह पत्रावली पूर्व में वादी महेन्द्र के प्रार्थना पत्र पर दस्त होकर पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी की पहचान उनके वकील श्री सीताराम चौधरी ने की। वकील ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका है। अतः पत्रावली स्तर पर विड्रा कर not press में रवारीज कर दिया जावे। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली not press में रवारीज की जाती है। फैसल नुसार रजिस्टर नम्बर से कम होने बाद कमीत रजिस्ट्रि जिला बेस भण्डार हो। सुनाया गया।

LTI of Mahendra

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.